

FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर वमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान  
लक्ष्मीनारायण पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जांगीड़ वनाम अमराराम पुत्र बालु जाति जाट वगै.  
सा. भगवानपुरा तह. नावां सा. भगवानपुरा तह. नावां

किस्म मुकदमा : 88,53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 65/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुआ
17.04.2023	<p>वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ने यह वाद पत्र पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 17.05.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(अंशुल सिंह) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p> <p>25/4/23 पत्रावली अदालत "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023" केम कोर्ट ग्राम पंचायत भारत निर्माण राष्ट्रीय गांधी सेवा केन्द्र-2021-2022 में आज पेश की। अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी हाजिर/नहीं हाजिर। प्रकथन वादी/प्रतिवादीगण हाजिर/नहीं हाजिर। प्रकथन के माध्य राजीनामा नहीं हुआ। पत्रावली पुनः न्यायालय में दिनांक 11/7/23 को पेश हो।</p>	
11/7/23	<p>अधिवक्ता वादी उपर तामील/अदम तामील सम्मन प्राप्त नहीं। पुनः पेश करें। मि० डि० 14/8/23 को पेश हो।</p>	
14/8/23	<p>अधिवक्ता वादी उपर। पूर्व आदेश की पालना करने हेतु दिहापत दी गयी मि० डि० 21/9/23 को पेश हो।</p>	
9/9/23	<p>पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में आज पेश हुई। अधिवक्ता वादी ने प्रारूप प्रस्तुत कर विवेक किया कि डूब वाद पत्र को डूब भागे नहीं चलाना चाहते हैं इसलिए पत्रावली आज ही तलब कर जलिये विज्ञे खोजि किया जाये।</p> <p>अतः अधिवक्ता वादी के विवेक पर वादी का वाद-पत्र जलिये विज्ञे खोजि किया जाता है। पत्रावली अंतिम शुमार शेकट नम्बर से कम हो न दाखिल रफ्त हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी नावां (डी.ड.नामा-क.नामन)</p>	